रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1989/ज्येष्ठ 27, 1911

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 1989/JYAISTHA 27, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 1989

सा. का. नि. 415.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित अनुसचिवीय, कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1961 को जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ आशुलिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आशुलिपिक श्रेणी 3 समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल (राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आशुलिपिक श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता, वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee, Group 'C' (for Promotion, Confirmation etc.) 1. Director of the Central Frozen Semen Production and Training, Institute, Hessarghatta.—Chairman 2. Assistant Research Officer, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hessarghatta.—Member. 3. One outside Gazetted Officer of the Central/State Government — Scheduled Caste/Scheduled Tribes—Member.	Not applicable

[No. 14—13/88—LD-II]
R. KANDIR, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 26 मई, 1989

सा.का.नि. 437.:—राष्ट्रपति, संविधान, के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" भर्ती नियम, 1960, (ii) भारतीय सर्वेक्षण (इंजीनियर, अधिकारी कोर से भर्ती) नियम, 1950 और (iii) भारतीय महासर्वेक्षक (भारतीय सर्वेक्षण) भर्ती नियम, 1974 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय सर्वेक्षण में समूह "क" के पदों पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "भारतीय सर्वेक्षण (समूह "क") सेवा नियम, 1989 है।" ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा का गठन :—(1) नियम 7 और 8 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के लिये भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा के रूप में ज्ञात सेवा का गठन किया जाएगा।

(2) परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "उपाबंध" से इन नियमों का उपाबंध अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "ड्यूटी पद" से अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में सम्मिलित कोई भी पद, भले ही वह स्थाई हो या अस्थाई, अभिप्रेत है

(घ) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "श्रेणी" से सेवा की कोई श्रेणी अभिप्रेत है;

(च) "किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में दीर्घ कालिक नियुक्ति के लिए अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में अधिकथित विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है/हैं और उसके अंतर्गत कोई ऐसी अवधि या अवधियां भी हैं :—

(i) जिसे/जिन्हें सेवा के प्रारंभिक गठन पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में ज्येष्ठता के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया हो।

(ii) जिसके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में कोई ड्यूटी पद धारित किया होता यदि वह छुट्टी प्रतिनियुक्ति पर न होता उसने अन्यत्र कार्यभार और इस प्रकार का कोई कार्यभार न संभाला होता और वह ऐसा पद धारित करने के लिए उपलब्ध न होता;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है—

(ज) "अनुसूचित जाति" और अनुसूचित जन-जाति" का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में है।

(झ) "सेवा" से नियम 2 (1) के अधीन गठित भारतीय सर्वेक्षण (समूह "क") सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ट) "विभागीय उम्मीदवारों" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें सेवा वृत्ति आधार या प्रतिनियुक्ति आधार से भिन्न किसी आधार पर आयोग से परामर्श करने के पश्चात या विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया गया है और जो ऐसे पद धारण कर रहे हैं या उनका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार है :—

(i) जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट हैं; या

(ii) सेवा में काडर में लाया गया है और इस प्रकार काडर में लाने की तारीख को सेवा के प्रारंभिक गठन के पश्चात अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में सम्मिलित किया गया है।

3. श्रेणियां, प्राधिकृत पद संख्या और उसका पुनर्विलोकन :—(1) इन नियमों के प्रारंभ से ही समाकलित ज्येष्ठता वाले सिविलियन और रक्षा अधिकारियों से मिल कर बनने वाली भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा इन नियमों के अनुसार दो अलग-अलग वर्गों में विभाजित हो जाएगी अर्थात् "सिविलियन वर्ग और "रक्षा" वर्ग। सेवा में सम्मिलित पद, उनकी संख्या तथा वेतनमान और उनका सिविलियन वर्ग और रक्षा वर्ग के बीच विभाजन उपाबंध (1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।

(2) सरकार अनेक श्रेणियों की पद संख्या समय-समय पर जब भी वह आवश्यक और उचित समझे बढ़ा और घटा सकेगी।

(3) सरकार आयोग से परामर्श के पश्चात अनुसूची 1 से 4 तक में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित करेगी।

(4) सरकार आयोग से परामर्श के पश्चात किसी ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उपनियम (3) के अधीन सेवा में सम्मिलित किया गया है, सेवा की किसी भी उचित श्रेणी में अस्थाई हैसियत से या अधिष्ठायी हैसियत से, जैसा कि वह उचित

2ùv ▌╘y╖ù↑í[¶∩7┌æñ╧jc╣╒'¶┼ôwjÆÜ╧╖╡"I╢ê╞)⌠¢┌┘g╡*╢ε╘Ω]┤┘ ╜;╖╟9¿ñçw⌂╖æa▀⌠°¶╧z¶yy
7╠÷°ZPqA9ñ#4ÇfÖ&{╨S↔ɸ0£╨♠i╧┤≡qLV÷Ñ▌Hyñ▌ⁿYΘKτ │·╥○▌┌ö?╕

समझे, नियुक्त कर सकेगी और आयोग से परामर्श के पश्चात उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी।

4. सेवा के सदस्य:--(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे:-

(क) राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन के समय सेवा में नियुक्त व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात नियम 8 के अधीन इस प्रकार नियत तारीखों से सेवा में नियुक्त व्यक्ति।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसे प्रकाशन के पश्चात तत्समान श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

(3) इस नियम के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति की तारीख से तत्समान श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

5. (1) सेवा में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति चयन का क्षेत्र, न्यूनतम अर्हता सेवा--भर्ती के दो विभिन्न वर्ग होंगे:-सिविल और रक्षा। इन वर्गों में भर्ती अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार की जाएगी।

(2) परिवीक्षा:--(1) सेवा में कनिष्ठ काल वेतनमान में सीधी भर्ती द्वारा या ज्येष्ठ काल वेतनमान में समूह "ख" से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा :

परंतु नियंत्रक अधिकारी परिवीक्षा अवधि उस से संबंधित समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकेगा।

परंतु यह और कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का कोई भी विनिश्चय पूर्वतर परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात सामान्यतया 8 सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उसकी लिखित संसूचना संबद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के भीतर दी जाएगी।

(2) परिवीक्षा अवधि या बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि पूरी होने के पश्चात अधिकारियों को, यदि उन्हें स्थाई नियुक्ति के लिए उचित समझा जाए, नियमित आधार पर उस पर रहने दिया जाएगा और सम्यक् अनुक्रम में उनकी पुष्टि कर दी जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के दौरान सरकार की यह राय हो कि कोई अधिकारी स्थाई नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो वह कारण अभिलिखित करके ऐसे अधिकारी को, यथास्थिति, उन्मोचित कर सकेगी या उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी जो वह सेवा में नियुक्ति से पूर्व धारित कर रहा था।

(4) परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान सरकार उम्मीदवारों से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसे प्रशिक्षण और प्रशिक्षण का ऐसा अनुक्रम पूरा करे और ऐसी परीक्षा और परीक्षण पास करे (जिसके अंतर्गत हिंदी परीक्षा भी है), जो वह परिवीक्षा अवधि समाधानप्रद रूप से पूरी करने की शर्त के तौर पर आवश्यक समझे।

6. वेतन और भत्ते तथा अन्य लाभ:--(1) इन नियमों के प्रकाशन के समय भारतीय सर्वेक्षण में सेवारत रक्षा अधिकारी वेतन और भत्ते सिविल दरों पर लेंगे किंतु अधिष्ठाई लेफ्टिनेंट कर्नल की पंक्ति से नीचे के प्रत्येक मामले में, जिनमें वे अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें भारतीय सर्वेक्षण में प्रोन्नति के लिए अतिष्ठित किया गया है, ज्येष्ठता इंजीनियर कोर में संबद्ध अधिकारी से ऊपर दो अधिकारी और उससे नीचे दो अधिकारियों की परिलब्धियों के औसत के आधार पर इंजीनियर-इन-चीफ से परामर्श के पश्चात महासर्वेक्षक द्वारा अवधारित की जाएगी। किसी भी ऐसे अधिकारी को, जिसे भारतीय सर्वेक्षण में प्रोन्नति के लिए अतिष्ठित किया गया है, दो ऊपर और दो नीचे का लाभ उसी स्तर पर रोक रखा जाएगा भले ही वह किसी भी पंक्ति का हो। इसी प्रकार किसी ऐसे अधिकारी के मामले में जिसकी सेवा में ज्येष्ठता बाद में परिवर्तित की जाती है उसका वेतन उसकी परिवर्तित ज्येष्ठता के अनुसार फिर से नियत किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे ऊपर के किसी अधिष्ठाई पद पर प्रोन्नति होने पर वे अपने द्वारा धारित पद का सिविल वेतन या सैनिक पद का वेतन, जो भी अधिक हो, ले सकते हैं।

(2) ऐसे रक्षा अधिकारी जिन्हें पहले ही अधिष्ठाई लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे ऊपर के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया हो अपने द्वारा धारित पद का सिविल वेतन या सैनिक पद का वेतन, जो भी अधिक हो, ले सकते हैं। "दो ऊपर और दो नीचे नियम" के आधार पर इस समय उनके द्वारा ली जाने वाली कुल परिलब्धियों में किसी अंतर को उनका "वैयक्तिक वेतन" समझा जाएगा जो भावी वेतनवृद्धि में आमेलित हो जाएगा।

(3) भविष्य में भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा (रक्षा वर्ग) में आने वाले अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण समूह "क" सेवा का वेतन या इंजीनियर कोर को ग्राह्य वेतन और भत्ते लेने का विकल्प दिया जाएगा।

(4) रक्षा वर्ग में पद धारण करने वाले अधिकारियों के समतुल्य पद इस प्रकार होंगे,

क्रम सं०	समूह "क" सेवा पद (रक्षा वर्ग)	वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए इंजीनियर कोर में तत्समान पद	मौलिक रैंक के लिए न्यूनतम सेवा वर्ष
	1	2	3
1.	कनिष्ठ काल वेतनमान (2200-4000 रुपये) (उप अधीक्षक सर्वेक्षक)	कैप्टन*	5 वर्ष
2.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (3000-4500 रुपये) (अधीक्षक सर्वेक्षक)	मेजर	11 वर्ष
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (3700-5000 रुपये) (उप निदेशक)	लेफ्टीनेंट कर्नल	16 वर्ष
4.	अकृत्यिक चयन श्रेणी (4500-5700 रुपये) (निदेशक/उप निदेशक चयन श्रेणी)	कर्नल/ब्रिगेडियर**	20/23 वर्ष
5.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (5900-6700 रुपये) (अपर महासर्वेक्षक/महाप्रबंधक)	मेजर जनरल	25 वर्ष
6.	महासर्वेक्षक (7300-7600 रुपये) (जहां रक्षा वर्ग से हो)	लेफ्टीनेंट जनरल	28 वर्ष

नोट :

*कम से कम 3 वर्ष की कमीशंड सेवा वाले अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण में स्थाई उपनियुक्ति के लिए पेश किया जाएगा।

*कम से कम 33 वर्ष की गणना योग्य कमीशंड सेवा वाले अधिकारियों को ब्रिगेडियर का रैंक दिया जाएगा।

7. सेवा का आरंभिक गठन : (1) ऐसे रक्षा अधिकारी, जिन्हें भारतीय सर्वेक्षण (इंजीनियर अधिकारी कोर से भर्ती) नियम, 1950 के नियम 4 के अनुसार सैनिक ड्यूटी में स्थाई रूप से लौट जाने का विकल्प है, इन नियमों के प्रस्थापन के तीन मास के भीतर ऐसा करने के विकल्प का प्रयोग करेंगे। ऐसे अधिकारी जो तीन मास की अवधि के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे सेवा के आरंभिक गठन की तारीख से रक्षा वर्ग में पदों पर नई सेवा के सदस्य हो जाएंगे। ऐसे अधिकारी जो सेना में वापस जाने का विकल्प देते हैं, इंजीनियर अधिकारी कोर के कोटे के विरुद्ध भारतीय सर्वेक्षण में सेवामुक्ति के आधार पर अनुसूची 3 में अधिकथित विहित सेवामुक्ति अवधि के लिए काम करते रहेंगे।

(2) ऐसे व्यक्ति (जो इंजीनियर अधिकारी कोर से भिन्न हो) जो भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा में समूह "क" पद धारित कर रहे हैं और भारतीय सर्वेक्षण में कार्यरत हैं उन पदों या श्रेणियों में सिविलियन वर्ग के पदों पर सेवा के सदस्य हो जाएंगे जो उन पदों या श्रेणियों के तत्समान हैं जो वह नियमित आधार पर धारित कर रहे हैं।

(3) सेवा की अनेक श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित पद संख्या के वे पद जो आरंभिक गठन के समय न भरे जा सकें उन्हें नियम 8 के अनुसार भरा जाएगा।

(4) भारतीय महा सर्वेक्षक का पद आरंभिक गठन की तारीख से भारतीय सर्वेक्षक समूह "क" सेवा का भाग होगा।

8. सेवा को भविष्य में बनाए रखना :—(1) अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में किसी भी रिक्ति को इन अनुसूचियों के अधीन उपबंधित रीति से सिविलियन और रक्षा वर्ग से भरा जाएगा।

(2) सेवा की अनेक श्रेणियों में भविष्य में सर्जित पदों को नीचे उपबंधित रीति से भरा जाएगा :

(क) वे पद जिन पर अनुसूची 1 और 2 में उपदर्शित के अनुसार सिविलियन अधिकारियों को लगाया जाएगा।

(ख) व पद जिन पर अनुसूची 3 में उपदर्शित के अनुसार इंजीनियर अधिकारी कोर के अधिकारियों को लगाया जाएगा

9. ज्येष्ठता : (क) सिविलियन वर्ग :

(1) सीधी भर्ती : सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता का अवधारण योग्यता के उस क्रम द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसमें उनका आयोग की सिफारिश पर ऐसी नियुक्ति के लिए चयन किया गया है। किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्ति किसी पश्चातवर्ती चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे।

परन्तु जहां ऐसे व्यक्तियों की बाद में पुष्टि उनकी नियुक्ति के समय उनके योग्यता क्रम से भिन्न किसी और क्रम में कर दी जाती है तो उनकी ज्येष्ठता पुष्टि के क्रम के अनुसार होगी, न कि योग्यता के मूल क्रम के अनुसार,

(2) प्रोन्नत व्यक्ति : अनेक श्रेणियों में प्रोन्नत व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता का अवधारण ऐसी प्रोन्नति के लिए उनके चयन के क्रम में किया जाएगा।

(3) एक दूसरे के मुकाबले में ज्येष्ठता : अधीक्षण सर्वेक्षक की श्रेणी में सापेक्ष ज्येष्ठता,

(4) उप अधीक्षण सर्वेक्षक और अधिकारी सर्वेक्षक की सापेक्ष ज्येष्ठता का अवधारण रिक्तियों के रोस्टर के अनुसार किया जाएगा पहली रिक्ति उप अधीक्षण सर्वेक्षक को मिलेगी और अगली रिक्ति अधिकारी सर्वेक्षक की श्रेणी से प्रोन्नत अधिकारी को मिलेगी और इसी प्रकार आगे कार्यवाही होती रहेगी।

(ख) रक्षा वर्ग :

(1) इंजीनियर कोर से स्थाई उप नियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों की ज्येष्ठता उनके अधिष्ठाई कमीशन की तारीख और कोर में सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर होगी।

(2) सेना में उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता में पुनरीक्षण का प्रभाव यह होगा कि भारतीय सर्वेक्षण में भी उनकी ज्येष्ठता बदल दी जाएगी।

(3) यदि सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता आरंभिक गठन के समय विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो उसका अवधारण सरकार के अधीन ऐसी ही सेवा के सदस्यों को लागू नियमों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श के पश्चात किया जाएगा।

(ग) (1) सिविलियन वर्ग और रक्षा वर्ग से आने वाले अधिकारियों के बीच एक दूसरे के मुकाबले में कोई ज्येष्ठता नहीं होगी। नियम 7 के अधीन आरंभिक गठन के समय सिविलियन वर्ग या रक्षा वर्ग में किसी श्रेणी में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा शासित होगी

(2) किसी भी श्रेणी में नियम 7 के अधीन सेवा में सम्मिलित किए गए सभी स्थाई अधिकारी उस श्रेणी में बाद में अधिष्ठाई रूप से नियुक्त किए गए सभी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे और किसी भी श्रेणी में सेवा के आरंभिक गठन पर सम्मिलित किए गए सभी अस्थाई अधिकारी उस श्रेणी में बाद में नियुक्त सभी अस्थाई अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे।

(घ) उपरोक्त उपबंधों के अन्तर्गत न आने वाले मामलों में सरकार ज्येष्ठता का अवधारण आयोग से परामर्श के पश्चात करेगी

10 निरर्हता : कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को और विवाह के दूसरे पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी

11 रक्षा सेवाओं में सेवा का दायित्व : (1) सिविलियन वर्ग : राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व, तारीख को या उसके पश्चात सिविलियन वर्ग में उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति कोई भी व्यक्ति भारत की रक्षा से संबंधित किसी रक्षा सेवा या पद पर अधिक से अधिक 4 वर्ष, जिसमें प्रशिक्षण पर लगाया गया समय, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, सेवा करने के दायित्वाधीन होगा परन्तु ऐसे व्यक्ति से—

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष के पश्चात,

(ख) सामान्यतया 40 वर्ष की आयु होने के पश्चात उपरोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी

(2) रक्षा वर्ग: (क) स्थाई उपनियुक्ति वाले अधिकारी सेना अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः बुलाए गए दायित्वाधीन होंगे

(ख) भारतीय सर्वेक्षण के समूह "क" काडर के रक्षा वर्ग पद संख्या में यह परिकल्पित है कि भारतीय सर्वेक्षण में रक्षा अधिकारी अपने सेवा का लगभग 3 चौथाई भाग भारतीय सर्वेक्षण में गुजारेगा और 1/4 भाग सैनिक सर्वेक्षण एकक या अस्थाई प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारिवृन्द में सैनिक ड्यूटी पर गुजारे गए।

(ग) भारतीय सर्वेक्षण और सैनिक सर्वेक्षण सेवा के बीच रक्षा अधिकारियों की अदला-बदली दोनों सेवाओं की अपेक्षा अनुसार इंजीनियर इन चीफ से परामर्श करने के पश्चात की जाएगी।

(घ) रक्षा अधिकारियों की सेवा की विशेष शर्तें: रक्षा वर्ग में कार्यरत और भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा में स्थाई उपनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी उपाबंध 2 में परिवीक्षा, सैनिक ड्यूटी आदि पर परिवर्तन से संबंधित विशेष सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे।

12. अधिकारियों का भारत और विदेश में सेवा करने का दायित्व:

(1) नियुक्त अधिकारी भारत में और विदेश में कहीं भी सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे।

(2) नियुक्त अधिकारी भारत में और भारत से बाहर ऐसा प्रशिक्षण लेने और शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करने के दायित्वाधीन होंगे जैसा सरकार समय-समय पर विनिश्चित करे।

13. व्यावृत्ति: इन नियमों की किसी भी बात का समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबंधित आयु सीमा और अन्य रियायतों की छूट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. शिथिलीकरण की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कारण अभिलिखित करके आदेश द्वारा और आयोग से परामर्श के पश्चात व्यक्तियों के किसी भी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किसी उपबन्ध में छूट दे सकेगी।

उपाबन्ध 1

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा का विभाजन और विद्यमान संयुक्त ज्येष्ठता सूची में पद धारियों के लिए सुरक्षा

क. भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा का विभाजन:

(1) विद्यमान संयुक्त काडर को दो स्वतंत्र वर्गों में विभाजित किया जाएगा—एक सिविलियन अधिकारियों के लिए और दूसरा रक्षा अधिकारियों के लिए। भारती सर्वेक्षण समूह 'क' काडर में दोनों वर्गों में पदों का वितरण आरंभ में निम्नलिखित रीति के अनुसार होगा।

श्रेणी	वेतनमान	पदों की संख्या	
		रक्षा	सिविल
1	2	3	4
ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर महासर्वेक्षक/महाप्रबंधक)	5900-200-6700 रुपये	5	3
अकृत्यिक चयन श्रेणी निदेशक/उपनिदेशक (चयन श्रेणी)	4500-150-5700 रुपये	19	17
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उपनिदेशक)	3700-125-4700-150-5000 रुपये	23	17
ज्येष्ठ काल वेतनमान (अधीक्षण सर्वेक्षक)	3000-100-3500-125-4500 रुपये	70	90
कनिष्ठ काल वेतनमान (उप अधीक्षण सर्वेक्षक)	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रुपये	70	42

(2) भविष्य में दोनों वर्गों में पदों का आवंटन इस प्रकार किया जा सकेगा कि जहां तक संभव हो निम्नलिखित (वांछित) अनुपात तक पहुंचा जा सके:—

श्रेणी	पदों की संख्या	
	रक्षा	सिविल
ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर महासर्वेक्षक/महाप्रबंधक)	5	3
अकृत्यिक चयन श्रेणी निदेशक/उपनिदेशक (चयन श्रेणी)	27	23
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उप निदेशक)	28	31
ज्येष्ठ काल वेतनमान (अधीक्षण सर्वेक्षक)	90	115
कनिष्ठ काल वेतनमान (उप अधीक्षण सर्वेक्षक)	59	36

(3) संयुक्त ज्येष्ठता सूची में विद्यमान पदधारियों के लिए सुरक्षा: वर्तमान पदधारियों (रक्षा/सिविल) को, जिन पर इस विभाजन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है निम्नलिखित उपबंधों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी—

(क) ऐसी सभी अधिकारियों (रक्षा/सिविल) को, जिन्हें समाकलित ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति मिलती किन्तु उन्हें पृथक ज्येष्ठता होने के कारण छोड़ दिया गया अधिसंख्य पद सृजित करके (और इसके अतिरिक्त रक्षा अधिकारियों के मामले में समतुल्य कार्यकारी अधिष्ठाई सेना रैंक देकर) सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(ख) किसी विशिष्ट स्तर तक प्रोन्नति के लिए दोनों वर्गों में विद्यमान अधिकारियों के बीच अधिक असमानता नहीं है अर्थात् प्रत्येक स्तर पर मुकाबले के लिए कनिष्ठतम अधिकारियों के आबंटन/ज्येष्ठता वर्ष में अंतर एक वर्ष से अधिक नहीं है परन्तु अधिक असमानता के मामले में प्रभावित अधिकारियों को अधिसंख्य पद सृजित करके (और इसके अतिरिक्त रक्षा अधिकारियों के मामले में समतुल्य कार्यकारी/अधिष्ठाई सेना रैंक देकर) सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(ग) अन्य प्रभावित रक्षा अधिकारियों को, जो मिली जुली सूची में कनिष्ठ सिविलियन अधिकारियों द्वारा अतिक्रमित हो जाते हैं जबकि वह अन्यथा प्रोन्नति के लिए योग्य हैं—जो ऊपर (क) और (ख) के अन्तर्गत नहीं आते—कनिष्ठ सिविलियन अधिकारी द्वारा धारित पद का समतुल्य स्थानीय रैंक दिया जाएगा। किन्तु इससे वे किसी रैंक वेतनमान या अधिसंख्य स्थानीय रैंक के अन्य भत्तों के हकदार नहीं हो जाएंगे।

उपाबंध 2

रक्षा अधिकारियों की सेवा शर्तें :

(1) परिवीक्षा : पहली नियुक्ति पर रक्षा अधिकारी 2 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेगा किन्तु इस अवधि को सरकार महासर्वेक्षक की सलाह पर बढ़ा सकेगी। इस अवधि के दौरान या उसके अंत पर वह उससे ऐसा सर्वेक्षण कार्य से संबंधित व्यवहारिक/सैद्धांतिक परीक्षण करने के लिए कह सकेगी जो महासर्वेक्षक आवश्यक समझे। यदि वह यह परीक्षण पास करने में असफल रहता है या किसी अन्य कारण से भारतीय सर्वेक्षण में उसका बना रहना अवांछनीय समझा जाता है तो उसे महासर्वेक्षक की सिफारिश पर सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित किया जा सकेगा। उन अधिकारियों की जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि समाधानप्रद रूप से समाप्त करली है उनके द्वारा धारित पदों पर पुष्टि कर दी जाएगी। ऐसे अधिकारी की पुष्टि या उसके सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित होने तक उसे परिवीक्षाधीन समझा जाएगा।

(2) सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तन : पुष्टि के पश्चात अधिकारी को भारतीय सर्वेक्षण में अपनी नियुक्ति के संबंध में धारणाधिकार होगा किन्तु ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। इन शर्तों में "प्रतिवर्तित होना" अभिव्यक्ति में अधिकारी के लिए विकल्प विवक्षित है जबकि "प्रतिवर्तित किया जा सकेगा" अभिव्यक्ति से यह उपदर्शित होता है कि अधिकारी को विकल्प नहीं है :

(क) यदि अधिकारी की कमीशंड सेवा 20 वर्ष से कम है तो वह 6 मास की सूचना देकर अपने अनुरोध पर सैनिक ड्यूटी पर स्थाई रूप से प्रतिवर्तित हो सकेगा।

(ख) यदि अधिकारी की कमीशंड सेवा 20 वर्ष से अधिक है तो वह सरकार के अनुमोदन द्वारा ही स्थाई रूप से सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित हो सकेगा।

(ग) कर्नल या उससे ऊपर के अधिष्ठाई रैंक का कोई अधिकारी या कोई लेफ्टिनेंट कर्नल जिसने उस रूप में अपनी सेवावृत्ति पूरी कर ली है स्थाई रूप से सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित नहीं हो सकता।

(घ) किसी भी अधिकारी को स्थाई रूप से सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित किया जा सकेगा यदि भारतीय सर्वेक्षण में निम्नलिखित के कारण उसकी सेवाएं आवश्यक नहीं हैं :

(1) स्थापन में कमी।

(2) अधिकारी का असमाधानप्रद कार्य या आचरण जिसमें उसका सेवा से हटाया जाना या पदच्युति अपेक्षित नहीं है।

(ङ) किसी भी अधिकारी को अस्थाई रूप से सैनिक ड्यूटी पर प्रतिवर्तित किया जा सकेगा यदि :—

(1) उसकी आवश्यकता सैनिक सर्वेक्षण सेवा में सामान्य ड्यूटी के दौरान के लिए किसी ऐसे पद के लिए अपेक्षित है जिसे भारतीय सर्वेक्षण में अनुभव वाले किसी अधिकारी द्वारा भरा जाना हो।

(2) उसकी किसी ऐसी आपात स्थिति में सैनिक ड्यूटी के लिए अस्थाई रूप से आवश्यकता हो जिसमें सैनिक सर्वेक्षण सेवा में पदों के भरे जाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण की समूह "क" सेवा में उपबंधित अधिकारियों की संख्या से अधिक का सेना में प्रतिवर्तन अपेक्षित हो।

(3) सेनाध्यक्ष की यह राय हो कि वे सैनिक ड्यूटी के लिए दक्ष नहीं हैं। इस नियम के अधीन प्रतिवर्तन 6 मास से अधिक के लिए नहीं होगा और उसके दौरान उस अधिकारी को किसी ऐसे यूनिट में लगाया जा सकेगा जो सेनाध्यक्ष उसके लिए अपेक्षित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए उचित समझे।

(5) उसके विरुद्ध सैनिक नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जानी हो। पहली बार प्रतिवर्तन की उतनी ही अवधि पर्याप्त होगी जो अनुशासनिक कार्रवाई को कार्य रूप देने के लिए पर्याप्त हो।

(च) भारतीय सर्वेक्षण में रक्षा अधिकारियों को सैनिक पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए उनकी अपनी सामान्य ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाएगी। यह अवधि एक बार 4 मास से अधिक नहीं होगी और उसे ड्यूटी माना जाएगा और अधिकारियों को सिविल प्राक्कलन से पूर्ण वेतन और भत्ते सिविल दरों पर मिलेंगे।

3. सैनिक शक्तियां : सिविल नियोजन में कोई भी व्यक्ति सेनाध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं होता और इसी प्रकार वह किसी सैनिक प्राधिकारी के अधीन नहीं होगा वह अपने सैनिक रैंक के आधार पर सेना में किसी सैनिक प्राधिकार का स्वयं प्रयोग करने का हकदार नहीं है।

परन्तु वह सैनिक नियोजन में ऐसे कार्मिकों पर जो विभागीय रूप से उसके आर्डर के अधीन रखे जाते हैं सैनिक कमान का प्रयोग कर सकेगा और यदि वह किसी सैनिक फारमेशन कर्मचारीवृन्द से संबद्ध है तो वह अपने रैंक के कारण प्राधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा।

सिविल नियोजन में किसी भी अधिकारी के लिये सेना की वर्दी पहनना वैकल्पिक होगा किंतु यदि वह सेना की वर्दी पहनता है तो उसे उस शालीनता का पालन करना होगा जो उसकी ओर से, भले ही उसकी अपनी सिविल श्रेणी कुछ भी हो, ज्येष्ठ रैंक के सैनिक अधिकारी को देय हैं।

4. सैनिक प्रोन्नति : भारतीय सर्वेक्षण में रक्षा अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह एक सैनिक अधिकारी के रूप में अपने आपको दक्ष बनाए रखेगा और ऐसी प्रोन्नति परीक्षाएं आदि पास करेगा जो उसके रैंक और कोर के अन्य सैनिक अधिकारियों के लिए अधिकथित की जाएं। उसकी बाबत ऐसी सैनिक गोपनीय रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी जो सैनिक प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित हों।

भारतीय सर्वेक्षण में रक्षा अधिकारियों के मामलों पर सैनिक अधिष्ठाई प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा और ऐसी प्रोन्नति के लिए उनकी योग्यता के बारे में निर्णय उनकी सैनिक गोपनीय रिपोर्टों द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

[नियम 2(2)(ख) और (ट) 3(3), 5(1) और (8) देखिए]

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' (सिविलियन वर्ग)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 पदनाम	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर महासर्वेक्षक/महाप्रबंधक)	अकृत्यिक चयन श्रेणी (निदेशक/उपनिदेशक चयन श्रेणी)	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उपनिदेशक)	ज्येष्ठ काल वेतनमान (अधीक्षक सर्वेक्षक)

1	2	3	4	5
2 पदों की संख्या		केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार होगी	*जैसाकि उपाबन्ध 1 में उपवर्णित है किन्तु इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर करेगा	
3 वेतनमान	5900-200-6700 रु.	4500-150-5700 रु.	3700-125-4700-150-5000 रु.	3000-100-3500-125-4500 रु.
4 चयनित पद या अचयनित पद	चयनित	अचयनित	चयनित	(क) किसी वर्ष में होने वाली रिक्तियों में से 50 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता तथा योग्यता के आधार पर उप अधीक्षक सर्वेक्षक (कनिष्ठ काल वेतनमान) की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी (ख) शेष 50 प्रतिशत चयन के आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक (समूह 'ख') की प्रोन्नति द्वारा
5. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(क) लागू नहीं (ख) 2 वर्ष
6 भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और अनेक पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति	प्रोन्नति	प्रोन्नति	(क) प्रोन्नति (ख) प्रोन्नति
7. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण होना है	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में (जिसमें अकृत्यिक चयन श्रेणी में सेवा, यदि कोई हो, सम्मिलित है (8 वर्ष की नियमित सेवा या समूह 'क' में 17 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से कम से कम 4 वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए	सीधी भर्ती किया गया सिविलयन अधिकारी जिसने उस वर्ष की पहली जुलाई को सेवा के 14वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, जिस की गणना उस परीक्षा के वर्ष से अगले वर्ष से की जाएगी जिसके आधार पर अधिकारी को भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा में भर्ती किया गया था और प्रोन्नत सिविलयन अधिकारी जो कनिष्ठतम सीधे भर्ती किए गए सिविलयन अधिकारी से ज्येष्ठ हो और जो पात्र हो चुका है	ज्येष्ठ काल वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा	(क) कनिष्ठ काल वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले की ज्येष्ठता तथा योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा (ख) अधिकारी सर्वेक्षक की श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों में से चयन द्वारा
8. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	प्रोन्नति के लिए: 1. अध्यक्ष/सदस्य 2. संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2 सचिव, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. महासर्वेक्षक —सदस्य	प्रोन्नति के लिए: 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	प्रोन्नति के लिए: 1. सदस्य/अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. महासर्वेक्षक —सदस्य	(क) प्रोन्नति के लिए: 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ख) प्रोन्नति के लिए (1) सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) महासर्वेक्षक —सदस्य (3) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य
9. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	(क) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं, (ख) प्रत्येक बार चयन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् किया जाएगा।

अनुसूची

[नियम 2(2) (घ) और (ट), 3(3), 5(1) और (8) देखिए]

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा (सिविलियन वर्ग)

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ काल वेतनमान (उप अधीक्षण सर्वेक्षण)	जैसा कि उपाबन्ध 1 में उपदर्शित है किन्तु इसमें परिवर्तन कार्य-भार पर निर्भर करेगा	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रु.	लागू नहीं	उस वर्ष की पहली अगस्त को जिसमें आयोग परीक्षा आयोजित करे, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष टिप्पण : भारतीय सर्वेक्षण के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 26 की बजाए 31 वर्ष होगी।	नहीं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या इंजीनियरी संस्था (भारत की सहयुक्त सदस्यता परीक्षा के सेक्शन क और ख में समतुल्य श्रेणी।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और अनेक पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा
8	9	10	11
2 वर्ष	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती	पुष्टि के लिए 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य	प्रत्येक बार चयन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएंगी। यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की एक और बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।		

अनुसूची III

[नियम 2(2)(ग) और (ड), 3(3) 5(1) और (4) देखिए]

भारतीय सर्वेक्षण समूह 'क' सेवा (रक्षा कर्म)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. पद का नाम	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अपर महासर्वेक्षक/महाप्रबन्धक)	अकार्यिक चयन श्रेणी निदेशक/उपनिदेशक/चयन श्रेणी	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उपनिदेशक)	ज्येष्ठ काल वेतनमान (अधीक्षण सर्वेक्षक)	कनिष्ठ काल वेतनमान (उप अधीक्षण सर्वेक्षक)
2 पदों की संख्या	—जैसा कि उपाबंध 1 में उपदर्शित है किन्तु इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर करेगा।	केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार	—	—	—
3. वेतनमान	5900-200-5700 रु.।	4500-150-5700	3700-125-4700 150-5000 रु.	3000-100-3500-125-4500 रु.	2200-75-2800 द.रो.-100-4000 रु.
4 चयन पद या अचयन पद	अचयन	अचयन	चयन	अचयन	चयन
5. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष
6. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और अनेक पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति	प्रोन्नति	प्रोन्नति	प्रोन्नति—	इंजीनियर कोर के अधिकारियों में स्थानान्तरण द्वारा और ऐसे अधिकारी न मिलने पर इंजीनियरी में सदृश पद धारित करने वाला अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर। स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसमें 2 वर्ष की प्रशिक्षण की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण होना है।	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी से (जिसमें अकृत्यिक चयन श्रेणी में सेवा यदि कोई हो, सम्मिलित है (8 वर्ष की नियमित सेवा या समूह 'क' में 17 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से कम से कम 4 वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए।	अधिकारी जिन्होंने कनीयांश सेवा के कम से कम 13 वर्ष पूरे कर लिए हों	ज्येष्ठ काल वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा	कनिष्ठ काल वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वालों की ज्येष्ठता तथा योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	स्थानान्तरण : इंजीनियर कोर का अधिकारी जिसने कम से कम 3 वर्ष की, किन्तु 6 वर्ष से अधिक नहीं, कनीयांश सेवा पूरी करली हो।
8. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	प्रोन्नति के लिए। 1 अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. महासर्वेक्षक —सदस्य	प्रोन्नति के लिए : 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	प्रोन्नति के लिए : 1. सदस्य/अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग — सदस्य 3. महासर्वेक्षक —सदस्य	प्रोन्नति के लिए : 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	पुष्टि के लिए : 1. महासर्वेक्षक —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, —सदस्य 3. संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय —सदस्य
9. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक

टिप्पण : (1) उम्मीदवार न मिलने की दशा में ऐसे अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जो इंजीनियर कोर में सदृश पद धारित कर रहे हैं और जिन्होंने भारतीय सर्वेक्षण में पहले काम किया है और 2 वर्ष का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और अकृत्यिक चयन श्रेणी के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के लिए 4 वर्ष और ज्येष्ठ काल वेतनमान के लिए 3 वर्ष होगी।

(2) ज्येष्ठ काल वेतन मान (प्रयोजन सर्वेक्षण) में न भरी जाने वाली रिक्तियों को तब तक अनुसूची 1 में प्रतिशतता प्रतिबंध के अनुसार सिविलियन वर्ग से अस्थाई रूप से भरा जाएगा जब तक कि अपेक्षित न्यूनतम सेवा वाला रक्षा वर्ग का अधिकारी उपलब्ध न हो।

अनुसूची 4

(नियम 2(2) (घ) और (ट), 3(3), 5(1) और (8) देखिए)

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है?	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय महासर्वेक्षक	1	7300-100-7600 रुपये	चयन	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सर-	हां, सीधी भर्ती के लिए	अनिवार्य : (1) इंजीनियरिंग में डिग्री या गणित/भौतिकी/भूगोल/भू-गणित में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य

सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)	अर्हताएं। (2) किसी इंजीनियरी संगठन या वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी ज्येष्ठ प्रशासनिक और प्रबंधकीय पद पर संबंधित क्षेत्र में 18 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (1) सर्वेक्षण फोटोग्रामिति या भूगणित या संबद्ध विषयों शोध का अनुभव प्रकाशित शोध कार्य के साक्ष्य सहित। (2) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का ज्ञान (3) मानचित्र कला आटोमेशन का ज्ञान (यदि आयोग चाहे तो अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में छूट दे सकता है।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और अनेक पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा।
8	9	10	11	12
केवल सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा उम्मीदवार न मिलने की दशा में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा जिसका विनिश्चय आयोग से परामर्श के पश्चात् किया जाएगा।	श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा वाले सिविलियन वर्ग या रक्षा वर्ग के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी। प्रोन्नति के लिए : फीडर श्रेणी में निरन्तर नियमित सेवा की अवधि के आधार पर सिविलियन वर्ग और रक्षा वर्ग में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों में से प्रोन्नति के लिए संयुक्त पात्रता सूची तैयार की जाएगी। स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन 5200-6700 रुपये वेतनमान में पद धारित करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और उनके पास स्तम्भ 7 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में उस नियुक्ति से तुरंत पूर्व धारित किसी अन्य काडर से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रोन्नति के लिए : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष। 2. सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग—सदस्य। 3. सचिव, रक्षा मंत्रालय—सदस्य। पुष्टि के लिए : 1. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग—अध्यक्ष। 2. सचिव, रक्षा मंत्रालय—सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएंगी। यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।	प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर सरकारी अधिकारी को नियुक्त करते समय आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

[सं. 1-48/83 एस एम पी-3]
डी. बी. सहगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 26th May, 1989

G.S.R. 437.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (i) Survey of India Group 'A' Recruitment Rules, 1960, (ii) Survey of India (Recruitment from Corps of Engineer Officers) Rules, 1950 and (iii) Surveyor General of India (Survey of India) Recruitment Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to posts in the Survey of India, Group 'A' Service namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the "Survey of India (Group 'A') Service Rules, 1989".

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Constitution of the Survey of India Group 'A' Service.

(1) There shall be constituted a service known as Survey of India Group 'A' Service of persons appointed to the Service under Rules 7 and 8.

(2) Definitions—In these rules unless the context otherwise requires.

(a) "Annexure" means annexure to the rules ;

(b) "Commission" means the Union Public Service Commission ;

(c) "Duty post" means any post, whether permanent or temporary included in Schedules I, II, III and IV

(d) "Government" means the Central Government ;

(e) "Grade" means a grade of the Service ;

(f) "Regular Service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade rendered after selection, according to the prescribed procedure laid down in Schedules I, II, III and IV, for a long term appointment to that grade and includes any period or periods :—

(i) taken into account for purposes of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the service.

(ii) during which an officer would have held a duty post in the grade but for being on leave, deputation. Foreign assignment and the like not being available for holding such post ;

(g) "Schedule" means a Schedule Annexed to these rules ;

(h) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall respectively have the same meaning as in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution ;

(i) "Service" means the Survey of India (Group 'A') service constituted under rule 2(1).

(j) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Science and Technology.

(k) "Departmental candidates' means who have been appointed otherwise than on tenure basis or deputation basis, in consultation with the Commission or on the recommendations of a DPC and who hold posts or hold lien on post :—

(i) Specified in Schedules I, II, III and IV on the date of commercial of these rules rules ; or

(ii) encadred in the service and included in Schedule I, II, III and IV after the initial constitution of the service, on the date of such encadrement.

3. Grades, Authorised Strength and its review.—(1) With the commencement of these rules, the Survey of India Group A Service consisting of Civilian and Defence Officers with integrated seniority would be split up into two separate streams viz. 'Civilian' and 'Defence' streams as per these rules. The posts included in the Service, their number and pay scales and their division between Civilian and Defence streams will be as specified in Annexure I.

(2) The Government may make additions or deletions to the strength of the various grades as deemed necessary and considered appropriate from time to time.

(2) The Government may make additions or deletions to mission include in the Service any post other then those included in Schedules I to IV or exclude from the service a post included in the said Schedules.

(4) Government, may in consultation with the Commission appoint an officer whose post is included in the service under sub-rule 3 to the appropriate grade of the service in a temporary capacity or a substantive capacity, as may be deemed fit and fix the seniority in the grade in consultation with the Commission.

4. Members of the Service.—(1) The following persons shall be members of the Service :

(a) Persons appointed to the service at the publication of these rules in the Official Gazette ;

(b) persons appointed to the service under rule 8 after the publication of these rules from the dates so appointed.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) of this rule shall on such publication be deemed to be a member of the service in the Corresponding grade ;

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) of this rule shall be a member of the Service in the corresponding grade, from the date of such appointment.

5. (1) The method of recruitment, the field of selection, the minimum qualifying service for appointment to posts included in the service—There will be two different streams of recruitment—Civil and Defence. Recruitment to these streams shall be made as specified in Schedules I, II, III and IV.

(2) Probation.—(1) Every officer on appointment to the Service, either by direct recruitment in Junior Time Scale or by promotion from Group 'B' in Senior Time Scale shall be on pobation for a period of 2 years :

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time in this regard.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily wtihin eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probution or any extension thereof, officers shall, if consider fit for permanent appointment, be retained in their appointment on regular basis and be confirmed, in due course.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment Government, for reasons to be recorded in writing, may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Governmet may deem fit as a condition to satisfactory completion of the probation.

6. Pay and Allowances and other benefits.—(i) The Defence Officers serving in the Survey of India at the time of promulgation of these rules will draw civil rates of pay and allowances. However, their emoluments in each case below the rank of substantive Lt. Col. excluding those who are superseded for promotion in the Survey of India, will be determined by the Surveyor General in consultation with the Engineer-in-Chief on the basis of the average of the emoluments of two officers above and two officers below the con-

cerned officer in the Corps of Engineers. For any officer who is superseded for promotion in the Survey of India, the benefit of the two above and two below will freeze at that level itself irrespective of the rank held by him. Similarly, for any officer whose seniority in the Army is retarded subsequently, his pay shall be refixed with rspect to his changed seniority. On promotion to the rank of substantive Lt. Col. or above, they can draw the civil pay of the post held by them or the pay of the military rank whichever is higher.

(ii) The Defence officers who have already been promoted to the rank of substantive Lt. Col. or above, can draw the civil pay of the post held by them or the pay of their military rank whichever is higher. Any difference in the total emoluments drawn by them at present on the basis of two above and two below rule shall be treated as "personal pay" to be absorbed in future increments.

(iii) The officers joining the Survey of India Group 'A' Service (Defenc Stream) in future will have the option of either drawing the pay of Survey of India Group 'A' Service or pay and allowances as admissible in Corps of Engineers.

(iv) The officers holding posts against the Defence Stream would have the following equivalence of ranks.

Sl. No. Post of Group 'A' Service (Defence Stream)	The corresponding rank in Corps of Engineers for the purpose of fixation of pay	Minimum No. of years of service for substantive rank
1	2	3
1. Junior Time Scale (Rs. 2200-4000) (Deputy Superintending Surveyor)	Captain*	5 years
2. Senior Time Scale (Rs. 3000-4500) (Superintending Surveyor)	Major	11 yers
3. Junior Administrative Grade (Rs. 3700-5000) (Deputy Director)	Lt. Colonel	16 years
4. Non-functional Selection Grade (Rs. 4500-5700) (Director/Deputy Director Selection Grade)	Col/Brig.**	20/23 years
5. Senior Administrative Grade (Rs. 5900-6700) (Additional)Surveyor General/General Manager)	Major General	25 years
6. Surveyor General (Rs. 7300-7600) (Whenever from Defence Stream)	Lt. General	28 years

Note:-- *Officers with minimum of 3 years commissioned service would be offered for permanent secondment in Survey of India.

**Officers with minimum 23 years of reckonable commissioned service would be given the rank of Brigadier.

7 Initial constitution of service.—(i) All Defence officers who have the option to revert permanently to the military duty as per rule 4 of the Survey of India (Recruitment from Corps of Engineer Officers) Rules, 1950, shall exercise their options to do so within 3 months of the promulgation of these rules. The officers who do not exercise the option within the period of 3 months will become members of the new Service from the date of its initial constitution against the posts in the Defence Stream. Such of the officers who opt to revert back to the Army may continue to work on tenure basis in Survey of India against the quota for Corps of Engineer officers for the prescribed tenure period laid down in Schedule III.

(ii) Persons (other than Corps of Engineer Officers) holding Group 'A' posts in Survey of India Group 'A' Service and working in Survey of India will become members of the service against the posts in the Civilian Stream in the posts or grades corresponding to those which they were holding on regular basis.

(iii) To the extent the authorised regular strength of various grades in the service is not filled up at the time of initial Constitution, it shall be filled in accordance with rule 8.

(iv) The post of Surveyor General of India would be part of the Survey of India Group 'A' Service from the date of its initial constitution.

8. Future maintenance of the service.—(i) Any vacancy in any of the grades referred to in Schedules I, II, III and iv shall be filled from the Civilian and Defence Streams as provided under these Schedules.

(ii) The posts to be created in future in the various grades of the service shall be filled in the manner as hereinafter provided :

(a) Posts to be manned by the Civilian Officers as indicated in Schedules I and II.

(b) Posts to be manned by the Corps of Engineer Officers as indicated in Schedule II.

9. Seniority.—(A) Civilian Stream :

(i) Direct Recruitment : The relative seniority of all direct recruits shall be determined by the order of merit in which they are selection for such appointment on the recommendations of the Commission; persons appointed as a result of an earlier selection being senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

Provided that where persons are confirmed subsequently in an order different from the order of merit indicated at the time of their appointment, seniority shall follow the order of confirmation and not the original order of merit.

(ii) Promotees . The relative seniority of persons promoted to the various grades shall be determined in the order of their selection for such promotion :—

(iii) Inter-se-seniority : Relative seniority in the grade of Superintending Surveyor.

(iv) Relative Seniority of Deputy Superintending Surveyor and Officer Surveyor shall be determined according to the roster of vacancies. The first vacancy will go to the Deputy Superintending Surveyor and next vacancy to the promotee officer from the grade of Officer Surveyor and so on.

(B) Defence Stream.—(i) Seniority of Officers taken on permanent secondment from Corps of Engineer shall be on the basis of their date of substantive commission and relative seniority in the Corps.

(ii) Any revision in their relative seniority position in the Army will have the effect of changing their seniority in the Survey of India also.

(iii) If the seniority of any Member of the service had not been specifically determined at the time of initial constitution, the same shall be determined by Government in consultation with the Deptt. of Personnel and Training in accordance with the rules applicable to the Member of similar service under Government.

(C) (i) There will be no inter-se-seniority between officers coming from Civilian and Defence Streams. The relative seniority of members of the service appointed to a grade in

the Civilian or Defence Stream at the time of initial constitution under rule 7 shall be governed by the relative seniority obtaining on the date of commencement of these rules.

(ii) All permanent officers included in the service under rule 7 in any grade shall rank senior to all officers substantively appointed to that grade subsequently and all temporary officers included in that initial constitution of the service in any grade shall rank Senior to all temporary officers appointed to that grade subsequently.

(d) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government, may is satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

11. Liability to service in the Defence Services.—(1) Civilian Stream.—Any person appointed to any of the said posts in the Civilian Stream before, on or after the date of publication of these rules in the Official Gazette, shall if so required, be liable to serve in any Defence Service or posts connected with the Defence of India for a period not more than four years including the period, if any, spent on training. Provided that such person shall not be required :—

(a) to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) ordinarily, to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(2) Defence Stream.—(a) Permanently seconded officers would be liable to recall as per provisions in the Army Act.

(b) The strength of the Defence stream of Group 'A' Cadre of Survey of India envisages that a Defence officer in the Survey of India will spend about 3/4 of his service with the Survey of India and 1/4 on military duty with Military Survey units or Staff on temporary reversion.

(c) Exchange of Defence Officers between the Survey of India and Military Survey service will be carried out in consultation with the Engineer-in-Chief according to the requirements of both the services.

(d) Special conditions of service for Defence Officers.—The officers working in the Defence stream and coming on permanent secondment to Survey of India Group 'A' service will be governed by special conditions of service relating to probation, reversion to military duty etc. as given in Annexure II.

12. Liability of officers to serve in India and abroad.—(1) Officers appointed shall be liable to serve anywhere in India and abroad.

(2) Officers appointed shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Government may decide from time to time.

13. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

14. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

ANNEXURE-I

Bifurcation of Survey of India Group 'A' Service and the safeguards for the incumbents in the existing combined seniority list

A. Bifurcation of SOI Group 'A' Service

(1) The existing combined cadre will be split up into two independent streams—one for the civilian and the other for the Defence Officers. The posts in the SOI Group 'A' cadre are distributed among the two streams in the following manner to begin with—

Grade	Scale of pay	No. of Posts	
		Defence	Civil
Senior Administrative Grade (Additional Surveyor General/General Manager)	Rs. 5900-200-6700	5	3
Non functional Selection Grade Directory/Dy. Director (Selection Grade)	Rs. 4500-150-5700	19	17
Junior Administrative Grade (Deputy Director)	Rs. 3700-125-4700-150-5000	23	17
Senior Time Scale (Superintending Surveyor)	Rs. 3000-100-3500-125-4500	70	90
Junior Time Scale (Deputy Supdt. Surveyor)	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	70	42

(2) The future posts may be allocated among the two streams in such a way so as to reach the following (desired) ratios as far as possible :—

Grade	No. of posts	
	Defence	Civil
Senior Administrative Grade (Additional Surveyor General/General Manager)	5	3
Non functional Selection Grade Director/Dy. Director (Selection Grade)	27	23
Junior Administrative Grade (Deputy Director)	28	31
Senior Time Scale (Superintending Surveyor)	90	115
Junior Time Scale (Deputy Supdt. Surveyor)	59	36

(3) Safeguard for the existing incumbents in the combined seniority list:—

(3) Safeguard for the existing incumbents in the combined seniority list.—The present incumbents (Defence|Civil), who are adversely affected on account of bifurcation will be protected by the following provisions :—

(a) All those officers (Defence/Civil), who would have got promotion on the basis of the integrated seniority but who get left out on account of separate seniority, would be covered by creating supernumerary posts (and in addition by granting equivalent acting/substantive army ranks in case of Defence officers).

(b) There is no wide disparity between the existing officers in the two streams for promotion to a particular level i.e. the difference in the year of allotment|senioity of the junior-most, officers or comparison at each level is not more than one year. However, if there is any case of wide disparity, the affected officer(s) would be covered hy creating supernumerary posts (and in addition by granting equivalent acting/substantive army ranks in case of Defence officers).

(c) Other affected Defence officer(s) who get superseded by junior civilian officers in the combined list but are otherwise fit for promotion—not covered under (a) & (b) above—will be granted local rank equivalent to the post occupied by junior civilian officer. This would not entitle them to any rank pay or other allowances of supernumerary local rank.

ANNEXURE-II

Conditions of service for Defence officers

(1) Probation.—On first appointment a Defence officer will be on probation for two years but this period may be extended by Government on the advice of the Surveyor General. During this period or at the end of it he may be called upon to undergo such practical or theoretical tests in survey work as may be considered necessary by the Surveyor General. If he fails to pass these tests or if for any other reasons his retention in the Survey of India is considered undesirable, he may be reverted to military duty on the recommendations of the Surveyor General. Those officers whose probationary period is considered satisfactory will be confirmed in their appointments. Till the confirmation of the officer or his reversion to military duty, the officer will be treated as remaining on probation.

(2) Reversion to military duty.—After confirmation an officer will have a lien on his appointment in the Survey of India which will however, be subject to the following conditions. In these conditions the expression "revert" implies an option on the part of the officer. the expression "be reverted" indicates that the officer has no option :

(a) If the officer has less than 20 years Commissioned service, he may revert premanently to military duty at his own request with six months notice.

(b) If the officer has more than 20 years Commissioned service he may revert permanently to military duty only with the approval of the Government.

(c) An officer, of the substantive rank of Col. or above or a Lt. Col. who has completed his tenure of service as such, cannot revert permanently to military duty.

(d) An officer may be reverted permanently to military duty if his services are no longer required in the Survey of India owing to :—

(i) reduction of establishment.

(ii) unsatisfactory work or conduct on the part of the officer not involving his removal or dismissal from Government service.

(e) An officer may be reverted temporarily to military duty if :—

(i) required for a normal tour of duty in the Military Survey Service in a post required to be filled by an officer with Survey of India experience.

(ii) required temporarily for military duty in an emergency requiring the reversion to the Army of more than the number of officers provided for in the Group 'A' Service of the Survey of India for filling the posts in the Military Survey Services.

(iii) in the opinion of the Chief of the Army Staff he is inefficient in the military duties. A reversion under this rule will be for a period of not more than six months and during it the officer may be attached to any unit which the Chief of Army Staff considers suitable for providing the required refresher course.

(iv) he is required for disciplinary action under military rules. The period of reversion shall in the first place be only sufficient to enable the disciplinary action to be effected.

(f) Defence officers in the Survey of India will be allowed to be absent from their normal duties to attend Military Courses. The period involved will not exceed 4 months at a time and will be treated as duty and the officers will receive full civil rate of pay and allowances from Civil Estimates.

3. Military powers.—An officer in civil employment is not under the jurisdiction of the Chief of Army Staff and so is not subject to any military authority. He himself is not entitled by virtue of his military rank to exercise any military authority in the army.

He may however, exercise military command over any personnel in military employment who may be placed departmentally under his order, and if attached to the staff of a military formation he will be entitled to exercise the authority due to his rank.

The wearing of military uniform by an officer in civil employment is optional, but should he wear military uniform he will observe the courtesies due to military officer of superior rank irrespective of his own civil grade.

4. Military promotion.—A Defence officer in the Survey of India is expected to keep himself efficient as an army officer and will have to pass such promotion examinations etc. as may be laid down for other military officers of his rank and Corps. Such military confidential reports will be submitted on him as may be required by the Military authorities.

Defence officers in the Survey of India will be considered for military substantive promotion and their fitness for such promotion will be judged by their military confidential reports

SCHEDULE I

[See rules 2(2) (f) and (k), 3(3), 5(1) and (8)]

SURVEY OF INDIA GROUP 'A' (CIVILIAN STREAM)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Name of the post	Senior Administrative Grade (Additional Surveyor General/General-Manager).	Non-functional Selection Grade (Director/Deputy Director Selection Grade)	Junior Administrative Grade (Deputy Director)	Senior Time Scale (Superintending Surveyor)

1	2	3	4	5
2. No. of post	*	Shall be according to the orders of the Central Government.	* *As indicated in Annexure I subject to variation dependent on work-load.	*
3. Scale of pay	Rs. 5900-200-6700	Rs. 4500-150-5700	Rs. 3700-125-4700-150-5000.	Rs. 3000-100-3500-125-4500.
4. Whether Selection post or non-selection post.	Selection	Non-selection	Selection	(a) 50% of the vacancies occuring in a year will be filled up by promotion of Dy. Supdt. Surveyor (Jr. Time Scale) on the basis of seniority -cum-fitness. (b) the remaining 50% by promotion of Officer Surveyor (Group B) on selection basis.
5. Period of Probation, if any.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(a) Not applicable (b) two years.
6. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Promotion	Promotion	Promotion	(a) Promotion. (b) Promotion.
7. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	8 years' regular service in the Junior Administrative grade (including service if any, in the non-functional selection grade) or 17 years' regular service in Group 'A' Service out of which atleast 4 years regular service should be in the Junior Administrative grade.	Direct Recruit Civilian Officer who has entered the 14th year of service on 1st July of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the officer was recruited to Survey of India Group 'A' service and promoted Civilian Officer senior to the junior most direct recruit civilian officer who has become eligible.	5 years' regular service in the Senior Time Scale.	(a) By promotion on seniority -cum-fitness basis with 4 years' regular service in the Junior Time Scale. (b) By selection from officers in the grade of Officer Surveyor with 8 years' regular service in the grade.
8. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	For Promotion : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary, Department of Science & Technology—Member 3. Surveyor General—Member.	For Promotion : 1. Surveyor General—Chairman 2. Joint Secretary, Department of Science & Technology—Member. 3. Joint Secretary, M/Defence—Member	For Promotion : 1. Member/Chairman, U.P.S.C.—Chairman 2. Joint Secretary, D.S.T.—Member 3. Surveyor General—Member.	(a) For Promotion : 1. Surveyor General—Chairman. 2. Joint Secretary, D.S.T.—Member. 3. Joint Secretary, M/Defence—Member. (b) For Promotion : 1. Member, U.P.S.C.—Chairman 2. Surveyor General—Member. 3. Joint, Secretary, D.S.T.—Member.

1	2	3	4	5
9. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC not necessary	Consultation with UPSC not necessary	Consultation with UPSC not necessary	(a) Consultation with UPSC not necessary. (b) Selection on each occasion shall be made in consultation with UPSC.

SCHEDULE II

[See rules 2(2) (f) and (k), 3(3), 5(1) and (8)]

SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE (CIVILIAN STREAM)

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Junior Time Scale (Deputy Superintending Surveyor)	Indicated at Annexure-I subject to variation/dependent on work-load	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.	Not applicable.	Minimum 21 years and maximum 26 years as on 1st August of the year in which the Examination is conducted by Commission. Note : The upper age limit of 26 yrs. is relaxable upto 31 yrs. for the employees of the Survey of India.	No	Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent grade in Section A & B of the Associate Membership Examination of the Institution of Engineers (India).

Period of probation if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11
2 years	Direct recruitment through Engineering Services Examination held by Union Public Service Commission.	For conformation : 1. Survey General-- Chairman 2. Joint Secretary, DST.—Member. 3. Joint Secretary, Ministry of Defence---Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be held.	Selection on each occasion shall be made in conslutation with the Union Public Service Commission.

SCHEDULE : III

[See rules 2(2) (f) and (k), 3(3), 5(1), 7(1) and (8)]

SURVEY OF INDIA GROUP 'A' SERVICE (DEFENCE STREAM)

(1)	(2)	(3)
1. Name of the post	Senior Administrative grade (Additional Surveyor General/General Manager).	Non-functional Selection grade (Director/Deputy Director Selection grade).
2. Number of post	*	Shall be according to the orders of the Central Government
3. Scale of pay	Rs. 5900-200-6700	Rs. 4500-150-5700
4. Whether selection post or non-selection post	Selection	Non-Selection

(4)	(5)	(6)
Junior Administrative Grade (Deputy Director) *	Senior Time Scale (Superintending Surveyor) *	Junior Time Scale (Deputy Superintending Survayor) *
**As indicated in Annexure I subject to *variation depenuent on work load. Rs. 3700-125-4700-150-5000 Selection	Rs. 3000-100-3500-125-4500 Non-Selection	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 Selection

(1)	(2)	(3)
5. Period of probation, if any.	Non applicable.	Not applicable.
6. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Promotion.@	Promotion @
7. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation transfer to be made	8 years' regular service in the Junior Administrative grade (including service, if any, in the non-functional Selection grade) or 17 years' regular service in Group 'A' service out of which at least 4 years regular service should be in the Junior Administrative grade.	Officers who have put in minimum of 13 years of Commissioned service.
8. If a Departmental Promotion Committee exists, what is it's composition.	For Promotion : 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman. 2. Secretary, DST—Member. 3. Surveyor General—Member.	For Promotion: 1. Surveyor General—Chairman. 2. Joint Secretary, DST—Member 3. Joint Secretary M/Defence —Member.
9. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with the UPSC not necessary.	Consultation with the UPSC not necessary.

(4)	(5)	(6)
Not applicable	Not applicable	2 years
Promotion@	Promotion@	Transfer from Corps of Engineer officer failing which by transfer on deputation of officer holding analogous post in Corps of Engineers. The period of deputation will be 3 years excluding 2 years period of training.
5 years regular service in the Senior Time Scale	By promotion on seniority-cum-fitness basis with 4 years' regular service in the Junior Time Scale	Transfer :—Corps of Engineer officer having not less than 3 years and not more than 6 years Commissioned service.
For Promotion : 1. Member/Chairman, UPSC—Chairman 2. Joint Secretary DST—Member 3. Surveyor General—Member	For Promotion : 1. Surveyor—Chairman General 2. Joint Secretary DST—Member 3. Joint Secretary, M/Defence—Member	For confirmation : 1. Surveyor General—Chairman 2. Joint Secretary DST—Member 3. Joint—Secretary M/Defence —Member
Consultation with the UPSC not necessary	Consultation with the UPSC not necessary	Consultation with the UPSC necessary for appointment on transfer.

Note : @ Failing which by transfer on deputation of officer's holding analogous posts in Crops of Engineers, who have earlier worked in the Survey of India and undergone initial training for two years. The period of deputation will be 5 years for Senior Administrative Grade and Non-Functional Selection Grade and 4 years for Junior Administrative Grade and 3 years for Senior Time Scale.

£ The vacancies lying unfilled in the Senior Time Scale (Superintending Surveyor) shall be filled temporarily by Civilian Stream as per procedure laid down in Schedule I till such time an officer from Defence stream with requisite minimum service available.

SCHEDULE IV

[See rules 2(2) (f) & (k), 3(3) 5(1) & (8)]

Name of post	No. of post	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Surveyor General of India.	1	Rs. 7300-100-7600	Selection	Not exceeding 50 yrs. (relaxable for Govt. servants upto 5 yrs. in accordance with the instructions or orders issued by Central Govt.)	Yes or direct recruits.	Essential : (i) Degree in Engineering or Master's degree in Mathematics/Physics/Geography/Geodesy of a recognised University or equivalent. (ii) 18 years experience in a Senior Administrative and managerial position in an

2	2	3	4	5	6	7
						Engineering organisation or a Scientific laboratory in the related fields. Desirable : (i) Research experience in Surveying, Photogrammetry or Geodesy or allied subjects with evidence of published research work. (ii) Knowledge of computer programming. (iii) Knowledge of automation in Cartography. (Qualifications relaxable at Commissions discreation in case of candidates otherwise well qualified).

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment of by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12
1 year for direct recruits only.	By promotion failing which by direct recruitment or deputation or transfer to be decided in consultation with the Commission.	Senior Administrative grades officers in the Civilian and Defence stream with two yrs. regular service in the grade. For Promotion : A combined eligibility list for promotion shall be prepared out of the officers in the senior Administrative grade in the Civil and Defence streams on the basis of the length of continuous regular service in the feeder grade. For transfer/deputation : Officer under the Central/State Governments holding posts in the scale of Rs. 5900—6700 with two yrs. regular service in the scale and having educational qualifications and experience prescribed under column 7. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 5 years).	For promotion : 1. Chairman/Member Union Public Service Commission —Chairman. 2. Secretary, DST—Member. 3. Secretary, Min. of Defence —Member. For Confirmation : 1. Secretary, DST— Chairman 2. Secretary, Min. of Defence — Member. Note : The procedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be held.	Consultation with the Commission necessary while appointing officer of Govt. on deputation/transfer.

[No. 1—48/83-SMP 3]
D.B. SHEGAL, Jt. Secy.

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 5 अप्रैल, 1989

सा. का. नि. 438.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त नियंत्रक (वित्त तथा लेखा)/बजट तथा योजना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (संयुक्त नियंत्रक) वित्त तथा लेखा/बजट तथा योजना अधिकारी भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता :— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह समाधान हो जाता है ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त नियंत्रक (वित्त तथा लेखा) बजट तथा योजना अधिकारी	दो* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित	3700-125-4700-150-5000 रुपए	चयन पद	नहीं	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य